न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुण्डा, प्रतापगढ़।

UPPG160035802026

Bail Application/ 433 /2026
राज्य उ.प्र. बनाम नवीन सिंह उर्फ पिन्टू सिंह

दिनांक–18.06.2026

अभियुक्त नवीन सिंह उर्फ पिन्टू सिंह की ओर से मु०अ०सं०–247/2022 अन्तर्गत धारा–323, 504 भा.दं.सं., थाना–बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। **अभियुक्त अन्य प्रकरण में पूर्व से जेल में निरूद्ध है तथा हस्तगत प्रकरण में तलब होकर न्यायिक अभिरक्षा में है।**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है प्रार्थी /अभियुक्त को अवैधानिक ढंग से फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट है कि प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं है। सभी धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अपराध जमानतीय है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी०बी०आई० २०२१(१०) एसी०सी०सी० ७७३** के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुवलिग 25,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(आकृति गौतम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुण्डा, प्रतापगढ़।

स्टेनो–सुनील कुमार पटेल(II)

Digitally signed by AKRITI GAUTAM
Date: 2026.07.03 13:22:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court